संख्या-13/2018/1084/62-2-2018-2/3(30)/2017

प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22 मार्च, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions (Generel Category) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2404/ल0सिं0/बजट-पी0एम0के0एस0वाई0/2016-17, दिनांक 15.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा शासनादेश दिनांक 20.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-12-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-1201-पर ड्राप मोर क्राप (के.60/रा.40-के.$रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-9210.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-5006/62-2-2017-2/3(30)/2017, दिनांक 13.06.2017 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-8026.85 लाख में से शासनादेश संख्या-675/62-2-2018-2/3(30)/2017, दिनांक 14.03.2018 द्वारा अवमुक्त की गयी केन्द्रांश धनराशि रू0-942.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0-7084.85 लाख में से अवमुक्त की गयी केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-628-00 लाख (छः करोड़ अठठाइस लाख मात्र) श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 14.03.2018 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(2) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में न जमा किया जाय। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"-Other Interventions की योजना के निर्धारित कम्पोनेन्ट पर ही किया जायेगा। अन्य किसी मद/योजना में इसका व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-1668/62-2-2016, दिनांक 04.07.2016 में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 तथा शासनादेश दिनांक 20.11.2017 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-12-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-1201-पर ड्राप मोर क्राप (के.60/रा.40-के.$रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1084(1)/62-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. नियोजन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश शासन।
7. एन0आई0सी0 की प्रति।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in